



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24557

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 471/2026

राजेंद्र प्रसाद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: बृजेश प्रताप मिश्रा, गौरव चौहान

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान रिट याचिका उत्तर प्रदेश चकबंदी नियमावली, 2006 के नियम 109 के तहत बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.9.2025 को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील दायर करने के वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के संबंध में विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का खंडन नहीं किया है।
4. इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका, चकबंदी नियमावली के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर, पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

विनय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"